

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पूरीदेवी पत्नी लूणाराम जाति मेगवाल, निवासी स्वरूपनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		हुरपीदेवी पत्नी बस्ताराम जाति मेगवाल, निवासी स्वरूपनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (17)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन(111, 128)

मुकदमा नम्बर 342/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
20.12.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री वृजमोहन कृपावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान यू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वारसे जवाब आईन्दा दिनांक <u>09.02.24</u> को पेश हो।	
9.2.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इस्तजा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>23.2.24</u> को पेश हो।	24 उपखण्ड अधिकारी शिव
23/2/24	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इस्तजा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>6.3.24</u> को पेश हो।	
6.3.24	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इस्तजा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>8.4.24</u> को पेश हो।	
8.4.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के टोकर कक्ष में बसने के कारण इस्तजा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>20.5.24</u> को पेश हो।	



02.04.25

पत्रावली आज पेश गार्थी अधिवक्ता उप्र.
विभागीय के जारी नोटिस प्राप्त, बाबजुद
अनु. 52 विभागीय के विरुद्ध एक तरफ
कार्यवाही झाल में लाई जाली हैं।
प्रकरण में गार्थीगण ही साराजी ही नेचम
वन्ही हेतु झाला से इमोशन हो, पत्रावली
केसल सुमार हेबर दाखिल दस्तूर है।

अधिकारी